न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

सीमलवाडा जिला डुगंरपूर

पीठासीन अधिकारी :— अनिल कुमार जैन

प्रकरण सख्या:—52 / 20 ई.दी निर्णय दिनांक:—11.02.2021

1 श्री किर्तनलाल पिता वजा लबाना जाति लबाना उम्र वयस्क निवासी बांदेला तहसील सीमलवाडा जिला डूगरपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

1 श्री मान तहसीलदार साहब एवं उपपंजीयक महोदय तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राजस्थान।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 व 209 राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम

व धारा 136 भु राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :— श्री कर्तव्य शाह वादी की ओर से

एकपक्षीय बहस सुनी गई

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि वादी द्वारा एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी गांव बांदेला तहसील सीमलवाडा का स्थायी निवासी है। मेहनत मजदुरी व कृषि कार्य कर अपने परिवार का भरण पोषण करते है। वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम बांदेला में खाता संख्या 77 खसरा नम्बर 823 / 325 खेत किता 1 कुल रकबा 0.8822 हैक्टेयर, खाता संख्या 78 खसरा नम्बर कमशः 160, 226, 229, 235, 245, 254, 259, 262, 287, 309, 310, 326, 327, 328, 358, 366 रकबा 5.2931 हैक्टेयर में 1/6 हिस्सा, खाता संख्या 79 खसरा नम्बर 475 रकबा 0.4128 हैक्टेयर में 1/18 हिस्सा, खाता संख्या 80, खसरा नम्बर 782 रकबा 1.4569 हैक्टेयर में 1/12 हिस्सा, खाता संख्या 108, खसरा नम्बर 181, 182 रकबा 0.0729 हैक्टेयर में 1/70 हिस्सा होकर स्थित है। वर्तमान में भी कब्जा मौके पर वादी व अन्य सहखातेदारों का अपने अपने हिस्से पर यथावत रूप से बना हुआ है। वादी ने अपनी व संयुक्त कब्जे काश्त की वादग्रस्त आराजीयात में अपने हिस्से पर लोन लेने हेतु वादी ने खाते की नकले निकलवायी तो पता चला की हाल जमाबन्दी में वादी के पिता वजा पिता चेना लबाना के फोत हो जाने के पश्चात विरासती आराजी में बसराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। जबकि बसराम नाम का वजा के कोई लडका नहीं है। वादी किर्तनलाल वजा का लडका होकर विधिक वारिसान होने के बावजुद वादी किर्तनलाल का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से पर वादी ने राजस्व कर्मचारी से मिलकर वजा की मृत्यु के पश्चात खोले गए नामान्तरणकरण की प्रति परत निकलवाई

कमशः पेज 2 पर

तो पता चला की नामांतरणकरण के समय ही राजस्व कर्मचारीयों ने मूलवंश वादी किर्तनलाल का नाम अंकित नहीं कर बसराम का नाम दर्ज कर दिया है। जबकि बसराम नाम का कोई लडका नहीं हैं। ऐसे में वादी ने राजस्व कर्मचारी व प्रतिवादी से मिलकर राजस्व रेकोर्ड दुरस्त करने की बात कही लेकिन अब तक कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। राजस्व कर्मचारी से निवेदन कर रिकॉर्ड दूरस्त करने की बात की लेकिन रिकॉर्ड दूरस्त नहीं किया गया। जिससे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया जो वाद म्याद अवधि मे पेश है।

प्रतिवादी को जरीए स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किया जाना आवश्यक हैकि प्रतिवादी वादी को मात्र राजस्व कर्मचारीयों की गलती के आधार पर वादग्रस्त आराजी ग्राम बांदेला में खाता संख्या 77 खसरा नम्बर कमशः 823/325 खेत किता 1 कुल रकबा 0.8822 हैक्टेयर, खाता संख्या 78 खसरा नम्बर 160, 226, 229, 235, 245, 254, 259, 262, 287, 309, 310, 326, 327, 328, 358, 366 रकबा 5.2931 हैक्टेयर में 1/6 हिस्सा, खाता संख्या 79 खसरा नम्बर 475 रकबा 0.4128 हैक्टेयर में 1/18 हिस्सा, खाता संख्या 80, खसरा नम्बर 782 रकबा 1.4569 हैक्टेयर में 1/12 हिस्सा, खाता संख्या 108, खसरा नम्बर 181, 182 रकबा 0.0729 हैक्टेयर में 1/70 हिस्से से बेदखल न करे।

इस प्रकार वादी ने वाद प्रस्तुत कर दाद चाही है।

वादी द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने पर वाद दर्ज रजिस्टर कर न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को जरीए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। जिस पर एकतरफा कार्यवाही की गई।

विद्वान अभिभाषक ने बहस कर निवेदन किया जरीये इन्द्राज दुरस्ती ग्राम बांदेला में खाता संख्या 77 खसरा नम्बर 823/325 खेत किता 1 कुल रकबा 0.8822 हैक्टेयर, खाता संख्या 78 खसरा नम्बर 160, 226, 229, 235, 245, 254, 259, 262, 287, 309, 310, 326, 327, 328, 358, 366 रकबा 5.2931 हैक्टेयर में 1/6 हिस्सा, खाता संख्या 79 खसरा नम्बर 475 रकबा 0.4128 हैक्टेयर में 1/18 हिस्सा, खाता संख्या 80, खसरा नम्बर 782 रकबा 1.4569 हैक्टेयर में 1/12 हिस्सा, खाता संख्या 108, खसरा नम्बर 181, 182 रकबा 0.0729 हैक्टेयर में 1/70 हिस्से में बसराम का नाम हटाकर कर वादी किर्तनलाल का नाम दर्ज कर वादी किर्तनलाल को वादग्रस्त आराजी के हिस्से में खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में दस्तावेजों का अवलोकन किया प्रदर्श 1 से साबित होता है कि वादग्रस्त आराजी पर वादी खातेदार काश्तकार है। ग्राम बांदेला में खाता संख्या 77 खसरा नम्बर कमशः 823/325 खेत किता 1 कुल रकबा 0.8822 हैक्टेयर, खाता संख्या 78 खसरा नम्बर 160, 226, 229, 235, 245, 254, 259, 262, 287, 309, 310, 326, 327, 328, 358, 366 रकबा 5.2931 हैक्टेयर में 1/6 हिस्सा, खाता संख्या 79 खसरा नम्बर 475 रकबा 0.4128 हैक्टेयर में 1/18 हिस्सा, खाता संख्या 80, खसरा नम्बर 782 रकबा 1.4569 हैक्टेयर में 1/12 हिस्सा, खाता संख्या 108, खसरा नम्बर 181, 182 रकबा 0.0729 हैक्टेयर में 1/70 होकर स्थित है।

कमशः पेज 3 पर

वर्तमान में भी कब्जा मौके पर वादी किर्तनलाल व अन्य सहखातेदारों का अपने अपने हिस्से पर यथावत रूप से बना हुआ है। वादी के पिता वजा पिता चेना लबाना के फोत हो जाने के पश्चात विरासती आराजी में बसराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज कर दिया गया है। ऐसे में बसराम पिता वजा लबाना की जगह किर्तनलाल पिता वजा लबाना राजस्व रिकॉर्ड दर्ज कर खातेदार काश्तकातर घोषित किया जाता है।

आदेश

प्रकरण में वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम बांदेला में खाता संख्या 77 खसरा नम्बर कमशः 823/325 खेत किता 1 कुल रकबा 0.8822 हैक्टेयर, खाता संख्या 78 खसरा नम्बर 160, 226, 229, 235, 245, 254, 259, 262, 287, 309, 310, 326, 327, 328, 358, 366 रकबा 5.2931 हैक्टेयर में 1/6 हिस्सा, खाता संख्या 79 खसरा नम्बर 475 रकबा 0.4128 हैक्टेयर में 1/18 हिस्सा, खाता संख्या 80, खसरा नम्बर 782 रकबा 1.4569 हैक्टेयर में 1/12 हिस्सा, खाता संख्या 108, खसरा नम्बर 181, 182 रकबा 0.0729 हैक्टेयर में 1/70 में बसराम पिता वजा लबाना की जगह किर्तनलाल पिता वजा लबाना राजस्व रिकॉर्ड दर्ज कर खातेदार काश्तकातर घोषित किया जाता है।

अनिल कुमार जैन
उपखंड अधिकारी
उपखड अधिकारी सीमलवाडा
सीमलवाड़ा

आदेश आज दिनांक 11.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अनिल कुमार जैन
उपखंड अधिकारी
उपखड अधिकारी सीमलवाडा
सीमलवाड़ा